न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 108/2023

जीसीएमएस सं. – 2023/278

–:: वादीनी ::–

राजकंवर उर्फ गोपालकंवर पुत्री मदनसिंह पत्नि महेन्द्रसिंह जाति राजपुत निवासी बाड़ाकलां हाल निवासी रोहिचाखुर्द तहसील लुणी जिला जोधपुर राज.।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण ::–

1. सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दर्ज तारीख :– 17.08.2023

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री पृथ्वीराज चौहान वादीनी की ओर से
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर राजकीय पैरोकार

आदेश दिनांक : 28.12.2023

वकील मय वादीनी ने एक राजस्व वाद पत्र धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बाड़ाकला पटवार क्षेत्र बाड़ाकंला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सालवाखुर्द तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में वादिनी की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 309 क्षेत्रफल 0.5178 हेक्टेयर किस्म बारानी ए, खसरा नबंर 315 क्षेत्रफल 1.4238 हेक्टेयर किस्म बारानी ए, खसरा नबंर 316 क्षेत्रफल 0.7847 हेक्टेयर किस्म बारानी ए, खसरा नबर 317 क्षेत्रफल 0.9223 हेक्टेयर किस्म बारानी ए, खसरा नबर 320 क्षेत्रफल 2.0710 हेक्टेयर किस्म बारानी ए, खसरा नबंर 352 क्षेत्रफल 0.9546 हेक्टेयर किस्म बारानी ए, खसरा नबंर 352/1 क्षेत्रफल 0.2993 हेक्टेयर किस्म बारानी ए, खसरा नबंर 420 क्षेत्रफल 3.3169 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 422 क्षेत्रफल 2.7991 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नबंर 54 क्षेत्रफल 0.2912 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरें 10 कुल क्षेत्रफल 13.3807 हेक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड के खाता संख्या नया 313 व पूराना 249 पर इन्द्राजशुदा है।उक्त खसरान की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी संम्वत 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादिनी का घरेलु बोलचाल का नाम राजकंवर पुत्री मदनसिंह अंकित है जो कि त्रुटिपूर्ण नाम है जबकि वादिनी का सही व वास्तविक नाम गोपालकैंवर है। वादिनी के आधार कार्ड, पहचान पत्र में वादिनी का सही नाम गोपालकैवर अंकित है। राजस्व रेकर्ड में वादिनी का नाम भुलवश सेवन से घरेलु बोलचाल का नाम राजकंवर अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें की वादिनी अधिकारी है। वादिनी द्वारा दिनांक 15.8.2023 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादिनी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादिनी के पास विकल्प नही है इसलिए वादिनी का उक्त वाद वास्तें सही नाम राजकंवर के स्थान पर गोपालकँवर किये जानें की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। इंस्तदुआ वादिनी निम्न प्रकार से है :–

(अ) यह है कि वादिनी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम बाड़ा कलां पटवार क्षैत्र बाड़ाकलां भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सालवा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में वादीनी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 309 रकबा 0.5178 हैक्टयर किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 315 रकबा 1.4238 हैक्टयर किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.7847 हैक्टयर किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.9223 हैक्टयर किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 320 रकबा 2.0710 हैक्टयर किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.9546 हैक्टयर किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 352/1 रकबा 0.2993 हैक्टयर किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 420 रकबा 3.3169 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 422 रकबा 2.7991 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नम्बर 54 रकबा 0.2912 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरे 10 कुल रकबा 13.3807 हैक्टयर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम राजकंवर के स्थान पर गोपालकंवर घोषित किया जावें। अन्य अनुतोष जो हित वादीनी हो वादीनी के पक्ष में अता फरमावें।

वादीनी के वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम बाड़ा कलां पटवार मण्डल बाड़ा कलां, भू. अ.निरीक्षक क्षैत्र सालवा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में वादीनी की खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 खाता सं. 313 अनुसार खसरा नम्बर 309, 315, 316, 317, 320, 352, 352/1, 420, 422, 54 कुल खसरा 10 कुल रकबा 13. 3807 हैक्टयर कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में राजकंवर पुत्री मदनसिंह जाति राजपुत सा.देह खातेदारी दर्ज हैं। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादीनी की घरेलु बोलचाल नाम राजकंवर होने से रेकर्ड में राजकंवर पुत्री मदनसिंह अंकित हैं जबकि प्रार्थीया के आधार कार्ड, पहचानपत्र में सही एवं वास्तविक नाम गोपालकंवर अंकित हैं राजस्व रेकर्ड वादीनी की घरेलु भाषा में बोलचान नाम राजकंवर दर्ज हो गया, जो दस्तावेजो के अनुसार गोपालकंवर नाम दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत एवं उचित हैं। अतः वादीनी का नाम हल्का पटवारी बाड़ा कलां, सरपंच ग्राम पंचायत बाड़ाकलां की तस्दीक व दस्तावेजो अनुसार राजकंवर के स्थान गोपालकंवर किया जाना उचित हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम बाड़ा कलां पटवार क्षैत्र बाड़ाकलां भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सालवा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में वादीनी की खातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 309 रकबा 0.5178 हैक्टयर किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 315 रकबा 1.4238 हैक्टयर किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 316 रकबा 0. 7847 हैक्टयर किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.9223 हैक्टयर किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 320 रकबा 2.0710 हैक्टयर किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.9546

अधिकारी
(जोधपुर

हैक्टयर किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 352/1 रकबा 0.2993 हैक्टयर किस्म बारानी ए, खसरा नम्बर 420 रकबा 3.3169 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 422 रकबा 2.7991 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय व खसरा नम्बर 54 रकबा 0.2912 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरे 10 कुल रकबा 13.3807 हैक्टयर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीनी का नाम राजकंवर के स्थान पर गोपालकंवर घोषित किये जाने का निवेदन किया हैं। इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब दावे के बिन्दुओ को दोहराते हुए ग्राम बाड़ा कलां के खसरा नम्बर 309, 315, 316, 317, 320, 352, 352/1, 420, 422, 54 कुल खसरा 10 कुल रकबा 13.3807 हैक्टयर में वादीनी राजकंवर के स्थान पर गोपालकंवर किये जाने की अनुशंषा की हैं।

निर्णय

अतः वादीनी का वाद अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि राजस्व ग्राम बाड़ा कलां के खसरा नम्बर 309, 315, 316, 317, 320, 352, 352/1, 420, 422, 54 कुल खसरा 10 कुल रकबा 13.3807 हैक्टयर में वादीनी राजकंवर के स्थान पर गोपालकंवर कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 28.12.2023 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर